संयुक्त राष्ट्र संघ (The United Nations organisation)

आज का युग युद्ध का युग है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को निगल जाने के लिए आतुर (व्याकुल) बैठे हैं। विश्व के चारों ओर अशांति का वातावरण छाया हुआ है। आज का सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन संघर्षों का केन्द्र बना हुआ है। युद्ध से अनन्त धन-जन शक्ति का विनाश होता है, परन्तु मानव स्वार्थलिप्सा उसे सब कुछ भूलकर पथ भ्रष्ट कर देती है। विश्व-बन्धुत्व की पवित्र भावना तथा मानवता का पवित्र संबंध आज समाप्त हो गया है। विगत दोनों महायुद्धों का लोमहर्षकारी तांडव नृत्य संसार ने देखा है। इन युद्धों में जितनी जानमाल की हानि हुई, अगर इसे कल्याण के लिए लगाया जाता तो आज विश्व कई गुणा अधिक सुखी और सम्पन्न होता। विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ विनाश की भयंकरता भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई है और आज भी विश्व विनाश के कगार पर खड़ा हुआ एक धक्के की प्रतीक्षा कर रहा है, परन्तु लोगों की आँख दोनों युद्धों ने खोल दी है। महायुद्ध की विभीषिका, बमों और तोपों द्वारा और अंततः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम के नीचस, विध्वंसकारी और विनाशकारी भीषण नरसंहार को देखकर संसार के लोग भयातीत हो उठे। आज तो मानव का मस्तिष्क उससे भी भयानक अस्त्रों का निर्माण कर रहा है। इस भयानक गतिविधि को रोकने के लिए संसार के विचारकों ने एक ऐसी संस्था बनाने का निश्चय किया, जिसमें विश्व की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और पारस्परिक विवादों का समाधान, शांतिपूर्ण वार्तालाप और आपसी समझौतों द्वारा किया जा सके। इसी विचारधारा के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के बाद 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को नगर में 1 जून 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये सब राष्ट्र एक साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को 'संयुक्त राष्ट्र' अथवा United Nations का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। 01 जून 1945 को आगे चलकर फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र' के घोषणापत्र (प्रस्तावना और अनुच्छेद।।। के साथ) को अन्तिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक सैक्सेस (अमेरिका) में हुई। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किये गये, पोलैण्ड को प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था। उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किये और वह 51 सदस्य राज्यों में से एक मूल सदस्य बन गया। अधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका तथा बहुसंख्यी अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई थी। 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में हुआ और इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

संयुक्त राष्ट्र संघ : स्थापना (उद्भव) (The United Nations organization origin) : प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को जाता है। इसकी स्थापना की आवश्यकता तथा उसके दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत की। रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए। उसने सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू कर दी जाय। उसने कहा कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन तथा संबल प्राप्त होगा।

30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा सोवियत संघ की सरकारों ने अपने-अपने परराष्ट्र मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि जितनी जल्दी संभव हो सके, एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, यह संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की सम्प्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे-बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे। जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना होगा।

संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं मार्शल स्टालिन प्रथम बार आपस में मिले। सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापित करने की भावना को दोहराया गया। उनका विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ओक्स भवन में आयोजित किया गया जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र केवल अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने तक ही सीमित न रखा जाय बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के सन्दर्भ में सोवियत संघ का दृष्टिकोण यह था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली एवं निर्णायक भूमिका स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाय। सोवियत संघ का विचार था कि वाद-विवाद करनेवाली सभाओं में छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार दिये जा सकते हैं। उसने इस बात पर जोर दिया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बड़ी शक्तियों का एकमत होना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों – महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। डम्बार्टन ओक्स के प्रस्तावों में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली पर तो सहमति हो गयी परन्तु सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य मतभेद बने ही रहे।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिये गये। 4 फरवरी 1945 को स्टालिन, चर्चिल तथा रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ ब्रिटेन तथा चीनी गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 50 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया। अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र (Charter) स्वीकृत किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर (United Nations Charter)

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया था कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों में अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के लिए उपरान्त चार्टर लागू माना जायेगा। 24 अक्टूबर 1945 तक यह प्रति सम्पन्न हो गई तथा इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने जिस संगठन को जन्म दिया वह राष्ट्र संघ से बहुत अधिक भिन्न था, परन्तु अनेक कारणों से विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ को स्मरण ही नहीं करना चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र के साथ असफलता का कलंक जुड़ा हुआ था, उसके साथ लगी हुई बदनामी और उसके संविधान की कुछ मौलिक त्रुटियाँ थी, इनका निराकरण संयुक्त राष्ट्र संघ से भिन्न एक नयी तथा अधिक शक्तिशाली संस्था ही हो सकता था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य (Aims of the United Nations) :- संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना से इसके सामान्य उद्देश्यों की झलक मिल जाती है। लेकिन, प्रस्तावना से इसके सम्पूर्ण उद्देश्यों की विवेचना नहीं हो पाती है। अनुच्छेद 1 में वर्णित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य- (i) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना (ii) मैत्रीपूर्ण संबंध में वृद्धि (iii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और (iv) सामंजस्य स्थापित करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत (Principles of U.N.O) :- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत है।

(i) इस सिद्धांत का आधार सब राज्यों की संप्रभुता तथा समानता का सिद्धांत है।

(ii) सभी सदस्य अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभायेंगे, जिन्हें उन्होंने वर्तमान चार्टर के अनुसार अपने ऊपर लिया है, ताकि सबको इस बात पर विश्वास हो जाए कि सदस्य होने के जो भी लाभ एवं अधिकार है, वे उनको मिलेंगे।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।

(iv) सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे।

(v) कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करनेवाले देश की सहायता नहीं करेगा।

(vi) संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने वाले सिद्धांत का पालन करेंगे।

(vii) संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता (Membership of the United Nations) :- आरंभ में इसके 50 मौलिक सदस्य थे। 2014 तक इसकी सदस्य संख्या 193 पहुँच गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 में सदस्यता-ग्रहण करने की शर्तों का उल्लेख है। इसकी सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों के लिए खुली है, जो संयुक्त राष्ट्र के दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा दो तिहाई बहुमत से नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करती है, जबकि सुरक्षा परिषद के पाँच (05) स्थायी सदस्यों में कोई किसी भी नए राष्ट्र को सदस्य बनने से अपने निषेधाधिकार (VETO) के द्वारा रोक सकता है। नए सदस्य बनने के लिए दो प्रकार की सदस्यता का प्रावधान है। (i) प्रारंभिक सदस्यता (Original membership) तथा (ii) निर्वाचित या अर्जित सदस्यता (Elected or Subsequent membership)। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक तथा बाद में सदस्यता अर्जित करने वाले राज्यों में कोई अन्तर नहीं है, दोनों को समान अधिकार तथा दायित्व सौंपा गया है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

सदस्यता-प्राप्ति की शर्तें (Condition of membership) :- केल्सन का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य बनाने का अधिकार सुरक्षा परिषद तथा महासभा की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है, फिर भी सदस्यता के लिए अभ्यर्थी राज्य के लिए निम्नलिखित शर्तों को आवश्यक बताया गया है :-

(i) आवेदक को संप्रभु राज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत, फिलीपीन्स तथा सोवियत संघ के दो संघीभूत इकाई राज्य युक्रेन और बेलारूस, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक सदस्य हैं, चार्टर पर हस्ताक्षर करते समय संप्रभु राज्य नहीं थे।

(ii) आवेदक को संप्रभु राज्य के साथ-साथ शांतिवादी भी होना चाहिए।

(iii) आवेदक राज्य का विश्वास चार्टर द्वारा निर्धारित सिद्धांतों में होना चाहिए।

(iv) आवेदक चार्टर के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को पूरा करने योग्य तथा इसके लिए इच्छुक होना चाहिए। लेकिन, गुडसपीड का कहना है कि कोई भी राज्य शांतिवादी तथा चार्टर की जिम्मेवारियों को पूरा करने योग्य है या नहीं, यह एक राजनीतिक प्रश्न है, जिसका निर्धारण पूर्णरूप से सुरक्षा परिषद और आमसभा की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है।

सदस्यता प्राप्त करने की रीति (Procedure of award membership) :- सबसे पहले सदस्यता के आवेदन पर सुरक्षा परिषद विचार करती है। इसके बाद सुरक्षा परिषद अपनी सिफारिश पेश करती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। सदस्यता का प्रश्न चूंकि प्रमुख विषय (Substantive matter) है इसलिए इसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त रहता है। सुरक्षा परिषद यदि किसी राज्य को सदस्यता देने की सिफारिश करती है तो महासभा दो तिहाई बहुमत से आवेदक राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना सकती है।

यदि सुरक्षा परिषद की असहमति के बाद महासभा सदस्यता के लिए इच्छुक राज्य के आवेदनपत्र पर विचार करना चाहती है तो उस आवेदन पत्र को पुनः विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद के पास लौटा सकती है। लेकिन, सुरक्षा परिषद अपने पूर्व निर्णय में संशोधन करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार रखती है। अतएव, यह स्पष्ट है कि सदस्यता के संबंध में निर्णय की वास्तविक शक्ति सुरक्षा परिषद को ही प्राप्त है। महासभा को इस संबंध में केवल अनुसमर्थन (Ratification) का अधिकार प्राप्त है।

समस्या (Problem) :- संयुक्त राष्ट्र में नवीन सदस्यों के प्रवेश की समस्या सबसे गंभीर है। ऐसे तो संयुक्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी सफलता के लिए विश्व के समस्त राष्ट्रों का इसमें प्रतिनिधित्व आवश्यक है। लेकिन 1945 के बाद से ही इस समस्या ने संयुक्त राष्ट्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र में नवीन सदस्यों के प्रवेश के प्रश्न को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ में रस्सा-कशी (tug of war) की स्थिति आ गई थी। जहाँ अमेरिका ने अपने समर्थक देशों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने की नीति अपनाई वहाँ सोवियत संघ ने इसका विरोध किया। इसलिए सदस्यता का प्रश्न महाशक्तियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। साम्यवादी चीन की सदस्यता का विरोध अमेरिका निरंतर करता रहा, लेकिन 25 Oct 1971 को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना दिया।

सदस्यता निलंबन तथा परित्याग (Suspension of membership and resignation)

चार्टर में किसी सदस्य राज्य की सदस्यता के निलंबन तथा निष्कासन की भी व्यवस्था है। अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा निरोधात्मक या दण्डात्मक कार्रवाई की गई हो तो महासभा दो तिहाई बहुमत से उस राज्य की सदस्यता पर रोक लगाकर उसे निलंबित कर सकती है। अनुच्छेद 6 के अनुसार "संयुक्त राष्ट्र की कोई सदस्य वर्तमान चार्टर के सिद्धांतों का बार-बार उल्लंघन करता है तो उसे महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर वहिष्कृत कर सकती है।" यहाँ तक सदस्यता परित्याग का प्रश्न है चार्टर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने एक औपचारिक उद्घोषणा के अनुसार अपमानजनक परिस्थिति में यदि छोटे राज्य संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ने के लिए लेखा है तो उस राज्य को अपना सहयोग देते रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इंडोनेशिया 21 जनवरी 1965 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता त्याग कर इससे अलग हो गया था।

निष्कर्ष (Conclusion) :- निष्कर्षतः संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना से उसके उद्देश्यों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। आनेवाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी सदस्यता के प्रश्न पर शुरू में महाशक्तियों में तीखा विरोध देखने को मिलता रहा है लेकिन वास्तव में अगर आज इसकी समीक्षा की जाय तो यह प्रतीत होता है कि इसकी बढ़ी हुई सदस्यता ने विश्व संगठन स्थापित कर गरीब और बेसहारा राज्यों के लिए अनिवार्य के रूप में कार्य करेगा, लेकिन अपने आपको भूलकर नहीं कि हम पहले क्या थे और आज क्या है।

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
डी० के० कालेज, डुमरॉव
दिनांक 29/05/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA